



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4943/2007

याचिकाकर्ता:

लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण संस्था, द्वारा निदेशक, कमलाकर कुसरे, कार्यालय:
गोल चौक, रोहिणीपुरम, रायपुर (छत्तीसगढ़)

..प्रतिवादी क्रमांक 1

विरुद्ध

उत्तरवादी :

1. श्रीमती कविता देवानी, पति स्वर्गीय प्रकाश देवानी, आयु लगभग 45 वर्ष,
निवासी: द्वारा गोपी चंद दयाराम गुरु दया, 8 विंध्य विहार कॉलोनी, नंदी गेट,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.)

..वादी

2. पी.वी. अग्निहोत्री, मकान नंबर V-26, लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण संस्था,
रोहिणीपुरम, रायपुर (छत्तीसगढ़)

..प्रतिवादी क्रमांक 2

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका

उपस्थिति:

श्री पी.आर. पाटणकर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री जी.डी. वासवानी, उत्तरवादियों के अधिवक्ता।



// मौखिक आदेश //

(दिनांक 14.02.2008)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:

प्रकरण सुना गया।

याचिकाकर्ता, जो व्यवहार न्यायालय में प्रतिवादी क्रमांक 1 है, ने व्यवहार वाद क्रमांक 38A/2006 में उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2006 एवं दिनांक 23.06.2007 की विधिमान्यता को चुनौती दी है। प्रथम आदेश द्वारा, व्यवहार न्यायालय ने वादी को न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 35 के अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 01.04.1983 के तहत दी गई छूट के आधार पर, अपेक्षित न्यायालय शुल्क का संदाय किए बिना अपने वाद को चलाने की अनुमति प्रदान की थी। चूँकि यह एक एकपक्षीय आदेश था, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उपस्थित होने के पश्चात व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि वादी के पास कई संपत्तियां हैं और उन सभी संपत्तियों के विवरण को छिपाकर उसने तुच्छ आधारों पर छूट का दावा किया है, अतएव, छूट के आदेश को वापस लिया जाए और उसे अपेक्षित न्यायालय शुल्क जमा करने का निर्देश दिया जाए। इसी आवेदन पर द्वितीय आदेश दिनांक 23.06.2007 पारित किया गया है।



मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा के.एम. निज़ाम विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य, 1991 (3) 381 एल.एल.जे. तथा रामजी शर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, ए.आई.आर. 1989 म.प्र. पृष्ठ 247 के प्रकरण में दिए गए निर्णयों का अवलंब लेते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि यदि प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी कि वादी न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 35 के तहत छूट प्राप्त करने की हकदार नहीं थी, तो इसका विनिश्चय व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था और व्यवहार न्यायालय को प्रतिवादी के तर्क को सीधे तौर पर खारिज नहीं करना चाहिए था।

दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि न्यायालय शुल्क के संदाय का मामला वादी और राज्य के बीच का मामला है और इसमें प्रतिवादी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त नहीं किया जाना चाहिए।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

यह स्वीकृत है कि प्रथम आदेश एक एकपक्षीय आदेश था जिसमें प्रतिवादी को नहीं सुना गया था और जब प्रतिवादी उपस्थित हुआ, तो उसने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति उठाई। जब प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि वादी न्यायालय शुल्क अधिनियम के तहत छूट प्राप्त करने की हकदार नहीं



थी, तो इस बिंदु पर विनिश्चय करना न्यायालय के लिए अनिवार्य था, किंतु उक्त बिंदु पर विनिश्चय नहीं किया गया और व्यवहार न्यायालय ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस संबंध में आपत्तियां लिखित कथन में ली जा सकती हैं।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि दोनों आदेश पारित करते समय लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया था, परंतु बाद में इसे प्रस्तुत कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में यह बिंदु उठाया गया है या नहीं।

निर्विवाद रूप से, यदि प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होने के पश्चात ऐसा विवाद उठाया जाता है, तो इस न्यायालय के अभिमत में, उचित मार्ग यह होगा कि वह इन बिंदुओं को अपने लिखित कथन में उठाए और फिर न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात उस बिंदु पर विनिश्चय करना होगा।

परिणामस्वरूप, याचिका का इस निर्देश के साथ निराकृत की जाती है कि व्यवहार न्यायालय लिखित कथन का परीक्षण करे और यदि उसमें आधार लिया गया है, तो उस बिंदु पर एक वाद-प्रश्न विरचित करे। यदि प्रतिवादी ने लिखित कथन में यह आधार नहीं उठाया है, तो प्रतिवादी को इसे उठाने का अवसर दिया जाएगा और यदि ऐसा आधार उठाया जाता है, तो न्यायालय शुल्क के संदाय के प्रश्न पर एक वाद-प्रश्न विरचित करने के पश्चात, व्यवहार न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार उसका विनिश्चय किया जाएगा।



उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका अंतिम रूप से निराकृत की जाती है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

